

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 01.04.2026

1/सी.-1032/2025-सा.प्र.-5912/लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण (फेज-1) के व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के बैच वर्ष, 2025 के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को जिला प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित जिला में सहायक समाहर्ता -सह-सहायक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन से संबंधित जिला
1	श्री राज कृष्ण झा	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
2	श्री अंकुर त्रिपाठी	वैशाली, हाजीपुर
3	श्री सौरभ सिन्हा	मुजफ्फरपुर
4	सुश्री फरखंदा कुरैशी	बक्सर
5	सुश्री कुमुद मिश्रा	पूर्णिया
6	श्री केतन शुक्ला	सहरसा
7	श्रीमती कल्पना रावत	दरभंगा
8	श्री निलेश गोयल	गया
9	श्री प्रिन्स राज	नवादा
10	श्री अमित मीणा	भोजपुर
11	श्री दीपक कुमार	पटना

2. उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/सी.-1032/2025-सा0प्र0-5912/पटना-15, दिनांक : 01.04.2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग) /सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली-110 001/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन,

कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली / प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना / राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना / महानिदेशक, बिपार्ड, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना / अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना / उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड-248179 (ई-मेल-adminesec.lbsnaa@nic.in/trginduction.lbsnaa@gov.in) / संबंधित विभाग / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित परीक्ष्यमान भा.प्र.से. पदाधिकारी / सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।